मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2020 को सम्पन्न बैठक में दिए गए निर्देश

ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था :

- बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि की शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे लॉक डाउन के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े।

- बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 31,939 e-content तैयार कर 2.29 लाख छात्रों को कनेक्ट किया है। अब तक 75,921 ऑनलाइन क्लासेज़ सम्पादित हुईं तथा 5,546 फैकेल्टी ने भाग लिया। प्रतिदिन औसतन 80328 विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेज में सम्मिलित हो रहे हैं।

- प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा में भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है।

स्वास्थ्य विभाग :

- स्वास्थ्य विभाग विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन की अनुमति देगा। निजी मेडिकल कॉलेज तथा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ की संक्रमण से सुरक्षा के सभी प्रबन्ध उपलब्ध होंगे और डॉक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा। इमरजेन्सी सेवाओं के संचालन के लिए चिकित्सालयों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा– कोविड केयर अस्पताल तथा नॉन कोविड केयर अस्पताल।

नॉन कोविड केयर अस्पतालों में शेष रोगों से सम्बन्धित इमरजेन्सी उपचार सुविधा उपलब्ध होगी।

- एम0बी0बी0एस0 तथा नर्सिंग कोर्स के Final Year के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर चिकित्सा सम्बन्धी कार्य सौपे जाएं।

<u>निर्माण कार्य :</u>

- भारत सरकार ने 20 अप्रैल, 2020 से बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, एक्सप्रेस–वे, हाईवे, मेडिकल कॉलेज का निर्माण तथा बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ऐसी परियोजनाओं से जुड़े इन्जीनियरों तथा श्रमिकों की चिकित्सीय जांच कराकर सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य की अनुमति होगी। इनके रहने, खाने–पीने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही करनी होगी।

<u>उद्योग विभाग</u> :

- दवा, मेडिकल सुरक्षा, आटा मिल, दाल मिल, राइस मिल जैसी आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्री के निर्माण से जुड़े उद्यम को पूर्व में दी गई अनुमति जारी रहेगी। ईंट–भट्ठे यथावत चलते रहेंगे। चीनी मिल तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी इकाइयां भी चलती रहेंगी।

- **<u>नई अनुमति :</u>** 20 अप्रैल, 2020 से ऐसी औद्योगिक इकाइयां, इन्टीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में अर्थात चहार दीवारी के अन्दर स्थित हैं तथा उनके टेक्निकल व अन्य कर्मचारी साइट पर उपलब्ध हैं, ऐसी इकाइयों को सोशल डिस्टैन्सिंग के पालन के साथ संचालित किए जाने की अनुमति होगी। कर्मचारी तथा अधिकारियों को लाने हेतु विशेष बस लगायी जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन कराया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय :

- बैंक यथावत बैंकिग समय के अनुसार कार्यशील रहेंगे।
- स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारम्भ।
- कार्यालयों में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ के द्वारा कार्य सम्पादन किया जाएगा।
- सभी पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी0, एल0पी0जी0 तथा पी0एन0जी0 के आउटलेट्स खोले जाएंगे।
- जिला प्रशासन एवं उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे।
- सभी मण्डियां खुली रहेंगी/क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।
- पशु चिकित्सालय भी खोले जाएं।

————————